

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उनवान

हेमराज

बनाम श.शु.रा.प.रा.प.

किरम धारा २१२ वाद/प्रा.पत्र

मु० नं० ५५४ / 2024

तारीख ह.म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>27/11/24</p>	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनगठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाड़ा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक <u>27.11.24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकालत में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक <u>27/3/23</u> को पेश हो।</p>	<p>Not Press [Signature] [Signature]</p>
<p>12-12-24</p>	<p>पत्रावली जारी की गयी है जजनी पत्र पर हुन वाद उदरण में किडो मोर उल डे आधार पर उपवाली समाप्त उर ही गई जिससे अब इस उदरण में डोर्क उपवाली शे मली रहती है उदरण में दिनांक 05-11-24 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा किलह विपक्ष गण से समाप्त बिना जाता है उदरण फैशन सुमार से उर मम्बर से उम ली</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u> उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा</p>	<p>Not Press [Signature] [Signature]</p>